

क्रम सं०	कार्यावली	लिये गये निर्णय
1	उद्योग विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 1930 दिनांक 18.06.2020 में मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक कलस्टर योजना के अन्तर्गत प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से राज्य के लोक उगक्रम/ निगमों द्वारा कलस्टर स्थापित करने हेतु जहानाबाद में शेड सं०- 6 एवं 7 रकवा 5000 वर्गफीट मुख्यमंत्री कुशल श्रमिक कलस्टर रेडिमेड गारमेंट्स परियोजना हेतु औद्योगिक प्रांगण, जहानाबाद में चिन्हित भूमि/शेड को कर्णांकित करते हुए उक्त योजना के हेतु आवंटित करने पर परियोजना रामाशोधन समिति (पी.सी.सी.) का अनुमोदन के संबंध में।	अनुमोदित
2	औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर में भू-खण्ड सं०-B-32, B-33, B-34 रकवा 65340 वर्गफीट भूमि को आवंटन हेतु मुक्त कर बियाडा website पर उपलब्ध कर दिया जाये।	अनुमोदित
3	औद्योगिक क्षेत्र, मुजफ्फरपुर में भू-खण्ड सं०-NS-9, NS-11, रकवा 1306800 वर्गफीट भूमि को आवंटन हेतु मुक्त कर बियाडा website पर उपलब्ध कर दिया जाये।	अनुमोदित
4	प्राधिकार अंतर्गत भूमि आवंटन हेतु औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर/पाटलीपुत्रा में 80 अंक की अर्हता निर्धारित है शेष औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगण/ विकास केन्द्र के लिए आवेदन हेतु निर्धारित 50 अंक की है। कोविड 19 के परिपेक्ष राज्य में निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से आवंटन हेतु निर्धारित अर्हता को 5 अंक घटाने का प्रस्ताव के संबंध में।	Covid-19 के परिपेक्ष राज्य में निवेश प्रोत्साहन के उद्देश्य से आवंटन हेतु निर्धारित अर्हता औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर/पाटलीपुत्रा में 70 अंक तथा शेष औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगण/ विकास केन्द्र के लिए 40 अंक की स्वीकृति दी गई। यह स्वीकृति 01.08.2020 से 31.03.2021 तक के प्राप्त आवेदनो पर मान्य होगा।

अन्यान्य कार्यवाही

काविड-19 संक्रमण काल में निवेश को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि ज्यादा-से-ज्यादा रोजगार सृजित की जा सके। विदित हो कि प्रस्तावित विधानसभा चुनाव की आचारसंहिता लागू होना भी संभावित है। उक्त के परिपेक्ष्य में परियोजना समाशोधन समिति की बैठक प्रत्येक माह के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह किये जाने के संबंध में।

- आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में परियोजना समाशोधन समिति की बैठक प्रत्येक माह के स्थान पर प्रत्येक सप्ताह के सोमवार 3:00 बजे अपराह्न को आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। यह नियम आचारसंहिता प्रभावी होने के पूर्व तक लागू रहेगा।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-
पर्यावरण अभियंता, बिहार
राज्य प्रदूषण नियंत्रण
परिषद्, पटना।

ह0/-
उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर
ऑफ कॉमर्स एंड
इण्डो।

ह0/-
अध्यक्ष, बिहार इण्डो
एसोसिएशन, पटना।

ह0/-
उद्योग निदेशक के
प्रतिनिधि, उद्योग विभाग,
बिहार, पटना।

ह0/-
आंतरिक वित्तीय
सलाहकार, उद्योग विभाग,
बिहार।

ह0/-
कार्यकारी निदेशक(प्र0),
बियाडा, दरभंगा।

ह0/-
कार्यकारी निदेशक बियाडा,
मुजफ्फरपुर।


ह0/-
कार्यकारी निदेशक (मु0),
बियाडा, पटना।

ह0/-
प्रबंध निदेशक,
बियाडा, पटना।

ज्ञापांक:- 2377/20

प्रतिलिपि:- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा, पटना/आई0 टी0 शाखा, बियाडा, पटना/मिडिया कार्यपालक, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक:- 12/08/2020


12/8/20
कार्यकारी निदेशक।

